न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 58/19
(जीसीएमएस नम्बर 2019/00327)

निर्णय दिनांकः– 8-8-25

1. आसुसिंह पुत्र भगवन्तसिंह जाति राजपूत राठौड जयसिंगोत निवासी सलुण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

1/1 भंवरसिंह पुत्र जगदीश सिंह माता सायर कंवर जाति राजपूत निवासी गोवटी तहसील पलसाना जिला सीकर।

1/2 घनश्याम सिंह पुत्र जगदीश सिंह माता सायर कंवर जाति राजपूत निवासी गोवटी तहसील पलसाना जिला सीकर।

1/3 विजय सिंह पुत्र जगदीश सिंह माता सायर कंवर जाति राजपूत निवासी गोवटी तहसील पलसाना जिला सीकर।

1/4 सज्जन कंवर पत्नी गोकुल सिंह जाति राजपूत निवासी गोवटी तहसील पलसाना जिला सीकर।

1/5 छबल कंवर पत्नी नंदू सिंह निवासी गॉव जुड़िया तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

1/6 हवा कंवर पत्नी दलीप सिंह निवासी सामेर तहसील पलसाना जिला सीकर।

1/7 जुगल सिंह पुत्र आसु सिंह जाति राजपूत निवासी सलुण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

1/8 चन्द्र सिंह पुत्र आसु सिंह जाति राजपूत निवासी सलुण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

1/9 छतर सिंह पुत्र आसु सिंह जाति राजपूत निवासी सलुण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. मदनसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी सलुण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1/1 संतोष कंवर पत्नी मदन सिंह जाति राजपूत

1/2 लक्ष्मण सिंह
1/3 रामसिंह
1/4 भंवरी
1/5 बरजू
1/6 धापू
1/7 छोटू

(1/2 – 1/7) पुत्र–पुत्रिया मदन सिंह जाति राजपूत निवासी संलुण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

2. रूपसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी सलुण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. रघुवीरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी सलुण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. किशोरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी सलुण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व निर्णय व डिकी दिनांक 22–05–2015
उपखण्ड अधिकारी, नोखा।

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री नवीन सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सीताराम विश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिकी दिनांक 22–05–2015 जिसके द्वारा अपीलांट्स के वादपत्र को खारिज करते हुए रेस्पोडेन्ट् वादपत्र को विधि विरूद्व तरीके से स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट की ग्राम सलुण्डिया कि रोही में खेत खसरा नं. 821 रकबा 0.38 हैक्टेयर खसरा नंबर 1186 रकबा 16.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1187 रकबा 2.70 हैक्टेयर खसरा नंबर 1190 रकबा 0.18 हैक्टेयर खसरा नंबर 1191 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1223 रकबा 26.55 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1234 रकबा 0.37 हैक्टेयसर, खसरा नंबर 1237 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1240 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1244 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1245 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल रकबा 48.39 हैक्टेयर में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के 1/2–1/2 हिस्सा रेवेन्यु रिकॉर्ड में अंकित है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट के खिलाफ धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत करके निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट अपीलांट के 1/2 हिस्से में चले आ रहे कब्जा काश्त में दखल अंदाजी नहीं करे। रेस्पोडेन्ट ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करके अपने आपको कुल 48.39 हैक्टेयर भूमि पर अपना कब्जा बतलातें हुए वाद को खारिज करने व काउन्टर क्लेम मन्जूर करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय में कानून के सभी सिद्धान्तों को ताक पर रखकर अपीलांट का वाद खारिज करके रेस्पोरडेन्ट का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का आदेश पारित किया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–05–2015 तात्कालीन राजस्व रिकॉर्ड व मौजुदा दस्तावेज की अनदेखी कर पारित होने से काबिज निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तीन तनकियात कायम की गई थी जिसमें तनकी संख्या 1 आया वादी वादगत भूमि पर रिकॉडेड काबिज कास्त खातेदार है जो प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर निषेधाज्ञा प्राप्त करने का मुस्तहक है जिमेवादी अधीनस्थ न्यायालय ने कानून अनुसार नतकी संख्या 1 की व्याख्या नही कि है । वादी द्वारा प्रस्तुत तात्कालीन जमाबंदी व पूर्व की जमाबंदी में वादी का वादगत कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज है व रहा है जिससे प्रतिवादीगण ने भी अपने जबाव में इंकार नही किया है तथा कब्जा कानून में हमेशा टाईटल का अनुशरण करता है इस आधार पर तनकी संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वियद्ध मानकर तथ्य व कानून की भारी भूल की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27–12–2012 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की और से जबाव दावा मय काउण्टर क्लेम पेश हुआ जिसकी प्रति वकील वादी को दिलाये जाने के लिए पत्रावली दिनांक 17–01–2013 को नियत की गई जबकि फर्द अहकाम में पत्रावली जवाब काउन्टर क्लेम में नियत रखी गयी। उक्त पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 07–03–2013 को नियत की गई तब तक भी वादी अधिवक्ता या वादी को काउन्टर क्लेम की प्रति प्राप्त हुई ना ही वादी का जवाब काउन्टर क्लेम बंद करने का कोई आदेश फरमाया गया, बिना जवाब काउन्टर क्लेम बंद किये ही पत्रावली कायमी तनकियात में रख दी गई तथा दिनांक 18–04–2013 को पत्रावली में बिना जवाब काउन्टर क्लेम के तनकियात कायम कर दी गई पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 06–06–2023 को वकील वादी वादी द्वारा वादी को बिना कोई नोटिस या पूर्व सूचना के प्रतिवादीगण से साठ गांठ कर वादी की और से **No Instruction** कर दिया गया जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी वादी को नहीं दी, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने ढंग से बिना जवाब काउन्टर क्लेम बंद किये निर्णय व डिक्री दिनांक 22–05–2015 पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः विपरीत है एवं निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस को निरन्तर जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के काउंटर क्लेम जिसमें मुख्यतः यह अभिवचन रहा है कि वादी ने अपनी संपूर्ण कृषि भूमि संवत् 2010 में प्रतिवादी के हिस्से में छोड दी थी, जिसको सही मानकर काउंटर क्लेम डिक्री किया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को यहां यह देखना था कि वादी ने किस महीना दिन या साल में अपना हिस्सा छोडा था तथा उस तथाकथित दस्तावेज तहरीर की विधिक बाध्यता व प्रभाव क्या है पर विचार किये बगैर काउन्टर क्लेम डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस तहरीर के आधार पर काउंटर क्लेम डिक्री किया गया है उस तहरीर में किसी भी कृषि भूमि का स्पष्ट हवाला नही है नाही खेत खसरा नंबर का हवाला है अस्पस्ट झूठी व कूटरचित लिखापढी प्रस्तुत की गयी है। तथाकथित तहरीर जिसके आधार पर काउंटर क्लेम स्वीकार फरमाया गया है वह गैर कानूनी व अविधिक दस्तावेज होकर प्रारंभ से शून्य व निष्प्रभावी है, अभिभाषक अपीलांट ने इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **CJ CIV 2017(3) Page 335** पेश किया। तथाकथित तहरीर धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत भी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवश्यक रूप से पंजीयन करवाए जाने वाला दस्तावेज है, जिसके अभाव में दस्तावेज को पढा नही जा सकता है अतः तथाकथित तहरीर के आधार पर पारित किया गया निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि वादी का वाद चिर निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादगीण द्वारा काउंटर क्लेम घोषणात्मक अनुतोष बाबत् प्रस्तुत किया गया है जो कि ओदश 8 नियम 6 के स्कोप से बाहर था तथा संपूर्ण काउंटर क्लेम का अवलोकन करने से स्पस्ट होता है कि आदेश 8 नियम 6(सी) सीपीसी के तहत वादी के विरूद्ध वाद कारण प्रतिवादी को हासिल नही हुआ ना ही काउंटर क्लेम में वाद कारण का पैरा भी नही है, जबकी आदेश 8 नियम 6 सी के तहत प्रतिवादी के रूप में किसी से अधिकार या दावे को जो वादी के विरूद्ध प्रतिवादी के रूप में किसी ऐसे अधिकार या दावे को जो वादी के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा परिदत किए जाने से पूर्व अपनी प्रतिरक्षा परिदत किये जाने के लिए परिसीमित समय का अवसान हो जाने के पूर्व किसी वाद के हेतुक के बारे में प्रदभुत हुआ हो उठा सकेगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी बिंदू वाद कारण के अभाव में काउंटर क्लेम डिक्री कर कानूनी भूल की है। इस आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम में एडवर्स पजेशन का भी आधार लिया गया है जिसके संबंध में गिरदावरी प्रस्तुत की गयी है। प्रतिवादीगण एक तरफ तो तथाकथित तहरीर के आधार पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अनुतोष चाहते है, वहीं दूसरी और एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार होने का अनुतोष चाहते है दोनो ही अभिवचन एक दूसरे के असंगत व विरोधाभासी है जो पक्षकार किसी हस्तांतरणसीय दस्तावेज के आधार पर स्वंय को मालिक होना मानता है, उसे एडवर्स पजेशन का तर्क लेने की आवश्यकता नहीं है ना ही एडवर्स पजेशन वादी के वाद के के एतराज के आधार पर व राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर साबित माना ही जा सकता है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्य व मौजूदा दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकरन किए बगैर गफलत में निर्णय व डिक्री पारित किया गया है निर्णय के विभिन्न पैरा में कही No Instruction के किया गया है। तो कहीं नोट प्रेस के आधार पर वादी का वाद खारिज करना बताया गया है, जबकि वादी द्वारा वाद कभी भी नोट प्रेस नहीं किया गया है। इस आधार पर निर्णय व डिक्री

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निरस्तनीय है, निरस्त फरमाई जावे। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउंटर क्लेम के अवलब मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार एक्सटिंगविस होने का तर्क दिया गया है परंतु धाररा 63 में वर्णित दशाओ में प्रतिवादीगण का मामला नही आता है ना ही तथाकथित तहरीर का प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा में प्रावधान है। प्रतिवादीगण द्वारा वादगत कृषि भूमि पर धारा 114 साक्ष्य अधिनियम में निरंतर कब्जे की उपधारणा लेने का तर्क प्रस्तुत किया गया है, परंतु वादी व प्रतिवादीगण व उनके पिता के जीवनकाल में विवादद चलता रहा है तथा उक्त वाद भी निरंतरता में हस्तक्षेप है इसलिए यह उपधारणा कानून नही ली जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 22–05–2015 कानूनी प्रक्रिया को एडोप्ट किए बिना ही प्रतिवादीगण को एकतरफा फायदा देनी की गर्ज से काउंटर क्लेम डिक्री किया गया है जिसके संबंध में विशेषतः अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम का अवलोकन करने मात्र से स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22–05–2015 को पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन करते हुए कहा कि अपीलांट व रेस्पोडेट संख्या 1 ता 4 के पिता प्रतापसिंह की ग्राम सलूण्डिया में कई भूमियां थी इसलिए अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पिता को अगुणा जीनणावाला, खेडा गांव से दिखणादा दिया गया। अगुणा दिशा वाले जीनणावाला खेत के पुराने खसरा नंबर 371 तादादी 79 बीघा व दिखणादा वाले खेत के खसरा नंबर 386 तादादी 113 बीघा थे। संवत् 2010 से अगुणा दिशा वाले जीनणावाला खेत के पुराने खसरा नंबर 371 तादादी 79 बीघा व दिखणादा वाले खेत के खसरा नंबर 386 तादादी 113 बीघा की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पिता का कब्जा काश्त रहा तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के पिता के स्वर्गवास के बाद रेस्पोडेट संख्या 1 ता 4 काबिज रहे। लेकिन अपीलांट ने अपने नाम का फायदा उठाकर संवत् 2010 के बाद संवत् 2066 यानी 56 वर्ष वाद दिनांक 30–06–2009 को अदालत मातहत के समक्ष टिनेन्सी एक्ट की धारा 188 के तहत दावा पेश किया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने संपूर्ण तथ्य लिखते हुए दिनांक 27–12–2012 को काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया तो अपीलांट ने अपने द्वारा प्रस्तुत दावा को दिनांक 06–06–2013 को नोट प्रेस करवा लिया जिसके बाद अदालत मातहत् ने अपीलांट का दावा खारिज करते हुए

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निर्णय व डिक्री दिनांक 22-05-2015 से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 का काउंटर क्लेम स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है जो अपील खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने आगे कथन किया कि अपीला मियाद बाहर होने के कारण भी खारिज योग्य है कानून में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री की अपील पेश करने के लिए 60 दिन की अवधी निर्धारित की हुई है लेकिन अपीलांट ने यह अपील दिनांक 10-12-2019 को पेश की है जो 1653 दिन बाद पेश की है इसलिए अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर पेश हुई है। मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को रेस्पोडेंट की आपति का इंतजार किये बिना मियाद के बिंदु पर खारिज कर देनी चाहिए। इस संबंध विद्वान अभिभाषक ने न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू 2016 (2) आर जे पेज 869 एच. सी पेश किया। आगे बताया कि मियाद अधिनियम की धारा 5 में यह व्यवस्था दी है कि यदि देरी से कार्यवाही करने वाला कोई संतोषप्रद कारण बता देता है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। संतोषप्रद कारण क्या है इस हेतु विद्वान अभिभाषक ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1955 पेज 252 पेश किया। उन्होने आगे बताया कि अपीलांट ने 1653 दिन की मियाद को क्षमा करवाने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो भी कारण अंकित किए है यथा रेस्पोडेन्ट खेत मुतनाजा पर आए अधिवक्ता ने आश्वाशन दे रखा था, अधिवक्ता से मिला तथा जानकारी मिली, नकल प्रार्थना पत्र 27-11-2018 को दिया नकल दिनांक 28-11-2019 को मिली जिसके बाद जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की है। उक्त सभी तथ्यों पर रेस्पोडेट ने निवेदन किया जिस जगह भूमि स्थित है वो रेगिस्तानी ईलाका हे जहां हर वर्ष जून जुलाई में वर्षा होती है और वर्षा होने के बाद काश्त होती है तथा अक्टूबर में फसल निकाल ली जाती है अपीलांट दिनांक 27-11-2019 को खेत पर क्यों गया था इस बाबत् कोई स्पष्ट कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है। फिर मियाद प्रार्थना पत्र में लिखा है कि अधिवक्ता ने आश्वाशन दे रखा था कि आवश्यकता होगी तो बुला लेंगे मगर सूचना नहीं दी, इस बिंदु पर रेस्पोडेन्ट का निवेदन है कि यदि अपीलांट के अधिवक्ता ने दावा खारिज होने और काउन्टर क्लेम स्वीकार होने की कोई सूचना नहीं दी तो अपीलांट ने अधिवक्ता के खिलाफ क्या कार्यवाही की, ऐसी कोई शिकायत अपीलांट ने अपील के साथ पेश नहीं की है इसलिए केवल अधिवक्ता ने सूचना नहीं दी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इसको आधार बनाकर मियाद को क्षमा नहीं कि जा सकती तथा प्रस्तुत अपील को मियाद बिन्दू पर ही खारिज फरमाने का निवेदन किया। उक्त कथनों के सर्मथन में अभिभाषक रेस्पोडेंट ने आर.बी.जे. 2021 पेज 226 एवं आर.बी.जे. 2019 पेज 362, 658 एच.सी. पेश किया।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने आगे कथन किया कि अपीलांट दिनांक 27–11–2018 से पहले अधिवक्ता से मिला था इसका प्रमाण यह है कि अपीलांट ने जिस निर्णय व डिक्री की अपील पेश की है वा दावा चिर निषेधाज्ञा के लिए पेश किया था जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने काउंटर क्लेम पेश किया तो अपीलांट ने दावा नोट प्रेस करवा लिया नोट प्रेस के बाद दिनांक 25–05–2015 को एक दावा संख्या 6/2015 अनवानी आसूसिंह बनाम मदनसिंह अंतर्गत धारा 53 के तहत अदालत मातहत के समक्ष पेश किया तो यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि जब कोई व्यक्ति उस भूमि के लिए नया दावा पेश करे जिस भूमि के लिए पूर्व में दावा पेश किया है यह भी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि जब नया दावा पेश करे तो पूर्व दावा के वकील से नही मिले और नया दावा पेश करे तो पूर्व दावा के वकील से नहीं मिले और नयादावा पेश करने के बाद दिनांक 22–05–2015 से 27–11–2018 तक नहीं मिले अपीलांट को निर्णय व डिक्री की जानकारी होने का दुसरा प्रमाण यह है कि अपीलांट ने जो दावा दिनांक 22–05–2015 को पेश किया था उसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने दिनांक 09–02–2017 को जवाब दावा पेश किया तथा जवाब दावा के साथ अपीलाधीन निर्णय की प्रति पेश की जिसका दस्तावेज रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने इस अपील के साथ पेश किया है ता अपीलांट को दिनांक 09–02–2017 को जानकारी हो गई और यह भी संभव नहीं है कि दिनांक 09–02–2017 के जवाब के पश्चात् वकील ने अपीलाधीन निर्णय के बारे में नहीं बताया हो और अपीलांट अपने पूर्व वकील से नही मिला हो। दिनांक 09–02–2017 के बाद भी संख्या 60/15 दिनांक 11–12–2019 तक चला है लेकिन जैसे ही लगा कि दावा चल नहीं सकता तो दिनांक 27–11–2018 की कहानी लिखकर यह अपील पेश कर दी। दावा संख्या 60/15 भी दिनांक 11–12–2019 को खारिज हो गया। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने न्यायालय से निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के काउंटर क्लेम स्वीकार होने की जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से ही थी क्योकि काउंटर क्लेम पेश करने के समय अपीलांट हाजिर था तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 द्वारा काउंटर क्लेम पेश किया जाने के बाद दावा नोट प्रेस करवाया है

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इसके बाद भी दिनांक 22–05–2015 को नया दावा संख्या 60/15 पेश किया तो हा गई, वहां भी नहीं तो दिनांक 09–02–2017 को रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने जवाब पेश किया उसमें अपीलाधीन निर्णय की प्रति पेश की उस समय हो गई फिर भी नही हुई तो अपीलांट के मियाद प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार दिनांक 27–11–2018 को हो गई जबकि अपील 10–12–2019 को पेश की है जो जानकारी से मियाद बाहस पेश है इसलिए मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य संतोषप्रद कारण की परिभाषा में नहीं आतें है अतः मियाद कंडोन नही की जानी चाहिए। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने इस कथन में न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे 2019 पेज 20 एवं आर.एल.डब्ल्यू 2006 (2) पेज 919 पेश किया। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कहा कि जहां अपील अत्यधिक मियाद बाहर हो या सामान्य अवधी से भी बाधित हो तो भी कानून में यह प्रावधान है कि मियाद का बिंदु पहले तय करना चाहिए क्योकि मियाद के बिंदु को तय किये बिना न्यायालय को प्रकरण के गुणावगुण के बिंदु पर पहुचने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है और मियाद को भी केवल अस कारण क्षमा नही करनी चाहिए कि प्रकरण मेरिट पर मजबूत है इस तथ्य के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेंट ने न्यायिक दृष्टांत 1988 SCC पेज 558 एवं आर.एल.डब्ल्यू 2008 (2)आर जे पेज 949 पेश किये।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि मियाद पर ऐसी स्पष्ट स्थिति के बाद भी मेरिट में रेस्पोडेंट का निवेदन है कि वादगत भूमि का संवत 2010 में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के पिता के मध्य विभाजन हो चुका था जिसको अपीलांट ने अपने दावा के पैरा संख्या 3 में स्वीकार किया है। कानूनन जंहा तथ्य स्वीकृत हो वहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अनुसार साबित करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 58 निम्न है **Facts admitted need not be proved- No Facts need be proved in any proceeding which the parties thereto of their agents agree to admit at the hearing, or which, before the hearing, they agree to admit by ny writing under their hands, or which ny any rule or pleading in force at the time they are eemed to have admitted by their pleadings.** जब संवत 201 में विभाजन हो गया और रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 को ये भूमियां दे दी थी। इतने लम्बे समय बाद अपीलांट को उस विभाजन से इंकार नहीं करने दिया जाएगा। अपीलांट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में प्रतिपादित एस्ओप्ल के सिंद्धांत से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

एस्ओप्ड है। धारा 115 निम्न है– **When one person has, by his declaration, act or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his respresentative shall be allowed , in any suit or proceeding between himself and such person or his representative, to deny the truth of that thing.**

उक्त कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेंट ने न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1981 पटना पेज 1 पेश किया। अपीलांट द्वारा संवत 2010 में विभाजन में वादगत भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के पिता के पक्ष में छोड दिया जाने बाद से अपीलांट का वादगत भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत गिरदावरियों से साबित है इसलिए अपीलांट के तथाकथित अधिकार टिनेन्सी एक्ट की धारा–

"63 (1) The interst of tenant in his holding or a part thereof as the case may be. shall be extinguished
(iv) when he ha been deprived of possession and his rigt to recover possession is barred by limitation." के अनुसार एक्सटिंग्विस हो गये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने आगे अपनी बहस में कथन किये कि अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से नोट प्रेस किया जाने पर नोटिस दिया जाने एवं आदेशिकाओ के संबध में तथ्य अंकित करते हुए आदेश 09 नियम 13 के संबंध में नजीरे पेश की है। अपीलांट द्वारा अंकित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धांत तब लागू होते है जब अपीलांट ने दावा नोट प्रेस में खारिज करने के आदेश की अपील पेश की हो लेकिन अपीलांट ने दावा नोट प्रेस में खारिज करने के आदेश की कोई अपील पेश नही की है, अपीलांट ने जो अपील पेश की है वा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाने की पेश की है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरें लागू नहीं होती है तथा अपीलांट द्वारा दावा नोटप्रेस में खारिज किया जाने की अपील नही किया जाने के कारण भी यह अपील खारिज योग्य है। इस कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेंट ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी 2020 (1) पेज 452, आर.आर.टी 2020 (1) पेज 198 पेश किए। आगे कथन किया कि इस स्थिति के बाद भी नोट प्रेस के बाद पक्षकार को सूचना दिया जाने का तथ्य तब मानने योग्य है जब अपीलांट ने अपने दावा खारिजी की अपील की हो लेकिन अपीलांट ने अपने दावा खारिजी के आदेश की अपील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पेश नहीं कर नया दावा संख्या 60/15 प्रस्तुत कर दिया जबकि अपीलांट को दिनांक 25–05–2015 को नया दावा पेश नही कर इस दावे की अपील करनी चाहिए थी विहित अवधी में पेश नही की और जब बाद वाला दावा खारिज होने के स्तर पर आया तो यह अपील पेश कर दी। अपीलांट के कृत्य स्वंय बोल रहे कि उसका अराजी जैर अपील पर कब्जा नहीं होने के कारण व सर्तक नह रहा है इसलिए नोट प्रेस के बाद भी नोटिस की आवश्यकता नहीं है। इस कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेंट ने न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2018 (2) आर जे पेज 1187 पेश किया। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने न्यायालय से निवेदन किया कि अपीलांट ने मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को अंदर मियाद माना जाने संबधी कोई कारण अंकित नहीं किया है ना ही ऐसा कोई तथ्य अंकित किया है जिसके अनुसार प्रदर्शित दस्तावेज को आधार बनाकर निर्णय नहीं किया जा सकता हो, यह अपील गुणावगुण विहित है तथा स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है इस कारण अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

6 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। प्रकरण में स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–05–2015 को पारित किया गया। अपील हाजा 11–12–2019 को पेश हुई। विधि का प्रावधान है कि मियाद का बिन्दू पहले तय कर लेना उचित रहता है। मियाद बिन्दू तय होने से पूर्व गुणावगुण पर प्रकरण निस्तारण नहीं किया जा सकता। मियाद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किए कि अपीलांट को आदेश जैर अपील का कोई ज्ञान नहीं था। दिनांक 26–11–2019 को रेस्पोडेंट खेत मुतनाजा पर आए तथा धमकी देकर बोले कि कुल जमीन फेसला हमारे पद्वा में हो गया है। अपीलांट को उक्त अधिवक्ता ने आश्वाशन दे रखा था कि यह रेवेन्यू का मुकदमा है हाल में तारीख पेशी पर अदालत में आने कि आवश्यकता नही है। अपीलांट दिनांक 27–11–2018 को अपने अधिवक्ता से मिला तथा मुकदमें के बारे में जानकारी ली तो अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमा दिनांक 22–05–2015 को खारिज हो गया है। अपीलांट ने दिनांक 27–11–2018 जानकारी मिलने के समय ही नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया नकल दिनांक 28–11–2019 को मिली। अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं कि है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने जवाब बहस में कथन किये कि अपील मियाद बाहर होने के कारण भी खारिज योग्य है कानून में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्र की अपील पेश करने के लिए 60 दिन की अवधी निर्धारित की हुई है लेकिन अपीलांट ने यह अपील दिनांक 10–12–2019 को पेश की है जो 1653 दिन बाद पेश की है इसलिए अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर पेश हुई है। मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को रेस्पोडेंट की आपति का इंतजार किये बिना मियाद के बिंदु पर खारिज कर देनी चाहिए। इस संबंध विद्वान अभिभाषक ने न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू 2016 (2) आर जे पेज 869 एच. सी पेश किया। आगे बताया कि मियाद अधिनियम की धारा 5 में यह व्यवस्था दी है कि यदि देरी से कार्यवाही करने वाला कोई संतोषप्रद कारण बता देता है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। संतोषप्रद कारण क्या है इस हेतु विद्वान अभिभाषक ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1955 पेज 252 पेश किया। उन्होने आगे बताया कि अपीलांट ने 1653 दिन की मियाद को क्षमा करवाने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो भी कारण अंकित किए है उक्त सभी कारणों पर रेस्पोडेट ने निवेदन किया जिस जगह भूमि स्थित है वो रेगिस्तानी ईलाका हे जहां हर वर्ष जून, जुलाई में वर्षा होती है और वर्षा होने के बाद काश्त होती है तथा अक्टूबर में फसल निकाल ली जाती है अपीलांट दिनांक 27–11–2019 को खेत पर क्यों गया था इस बाबत् कोई स्पष्ट कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है। फिर मियाद प्रार्थना पत्र में लिखा है कि अधिवक्ता ने आश्वाशन दे रखा था कि आवश्यकता होगी तो बुला लेंगे मगर सूचना नहीं दी, इस बिंदु पर रेस्पोडेन्ट का निवेदन है कि यदि अपीलांट के अधिवक्ता ने दावा खारिज होने और काउन्टर क्लेम स्वीकार होने की कोई सूचना नहीं दी तो अपीलांट ने अधिवक्ता के खिलाफ क्या कार्यवाही की, ऐसी कोई शिकायत अपीलांट ने अपील के साथ पेश नहीं की है इसलिए केवल अधिवक्ता ने सूचना नहीं दी इसको आधार बनाकर मियाद को क्षमा नहीं कि जा सकती तथा प्रस्तुत अपील को मियाद बिन्दू पर ही खारिज फरमाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गुणावगुण से पहले मियाद के बिन्दु को तय किया जाना है। मियाद के सम्बन्ध में निम्नाकिंत बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है–

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1— क्या अपील अन्दर मियाद है अथवा नही?

2— क्या अपील पेश करने में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किये गये है अथवा नही?

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—05—2015 को पारित किया गया जबकि हस्तगत अपील दिनांक 11—12—2019 को प्रस्तुत की गई है। निर्णय व डिक्री की अपील पेश करने हेतु 60 दिवस की अवधि निर्धारित है। जबकि यह अपील लगभग साढ़े चार वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई। अतः अपील मियाद अवधि के पश्चात् पेश की गई है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब कंडोन करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। न्यायालय को यह विचारण करना है कि क्या विलम्ब की अवधि अत्यधिक है अथवा नही? क्या अपीलांट द्वारा विलम्ब हेतु दर्शित कारण 'पर्याप्त कारण' है जिससे की न्यायालय का यह समाधान हो कि विलम्ब हेतु उत्तरदायी परिस्थितियॉ ऐसी थी, जो कि अपीलांट के नियंत्रण से बाहर हो।

इस हेतु मियाद अधिनियम के प्रावधानो पर गौर करना उचित होगा। मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार—

(1) Subject to the provisions contained in sections 4 to 24 (inclusive), every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defence.

मियाद अधिनियम की धारा 5 के अनुसार—

"Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), may be admitted after the prescribed period, if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

preferring the appeal or making the application within such period. "

उपर्युक्त प्रावधानो के आलोक में यह स्पष्ट है कि अपील में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा यदि संतोषप्रद कारण बताया जाता है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। संतोषप्रद कारण क्या है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1955 पेज संख्या 252 में यह अवधारित किया गया है कि

"We have heard the learned counsel appearing for the parties and have gone through the recoed as well. It is ture that an appellate court is to exercise its own discretion while dealing with the question as to whether a " sifficient cause" for the delay under section 5 of the Indian Limitation Act exisits or not. But it is a general principle of law that discreationary power must be exercised on judicial principles and not" in any arbitrary vague or fanciful manner." The term " Sufficient cause" has not been defined anywhere in the Indian Limitation Acts, but it has been held that it must mean a cause which is beyond the control of the party invoking the aid of the section. Necessarily it follows that a case for delay which by due care and attention could have been avoided cannot constitute a sufficient cause."

अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 में यह अभिस्वीकृत किया है कि दिनांक 27–11–2018 को उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई थी। अगर मियाद की अवधि को डेट ऑफ नॉलेज से भी गणना करे तो भी अपील दिनांक 11–12–2019 को प्रस्तुत होने से मियाद बाहर की श्रेणी में आती है। मियाद अधिनियम के प्रावधान औपचारिकता मात्र नही है। अपीलांट को विलम्ब के प्रत्येक दिन का कारण दर्शित करना आवश्यक है। अगर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–05–2015 से दिनांक 27–11–2018 (डेट ऑफ नॉलेज) तक की अवधि के विलम्ब को जानकारी के अभाव में माफ भी कर दिया जाए तो भी अपीलांट को डेट ऑफ नॉलेज (दिनांक 27–11–2018) से अपील पेश करने की (दिनांक 11–12–2019) तक की अवधि मे प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दर्शित करना होगा। अपीलांट द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में इस अवधि का कोई संतोषप्रद

राजस्व अपील अधिक..
बीकानेर

कारण प्रस्तुत नही किया हैं जिससे कि न्यायालय का यह समाधान हो सके कि अपीलांट के समक्ष ऐसी परिस्थितिया थी जो कि अपीलांट के नियंत्रण से बाहर हो।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में पूर्णतय चस्पा होते है। अतः अपील मियाद बाहर है। विलम्ब के संबंध में पर्याप्त कारण न होने से इसे अन्दर मियाद शुमार नही किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यु. 2008 (2) आर.जे. पेज संख्या 949 के आलोक में जहॉ अपील मियाद बाहर हो वहॉ गुणावगुण पर विचार नही किया जा सकता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

8. निर्णय आज दिनांक 8-8-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर